

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालयः
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 26/08/2017

क्रमांक एफ 4-1/2013/1-13/आरटीआई/1-सूअप्र :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 की उपधारा (3) में प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल (भा.प्र.सेवा-2000), रायपुर (छ.ग.) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

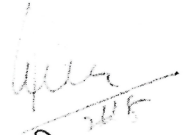
28.08.2017

पृ० क्र. एफ 4-1/2013/1-13/आरटीआई/1 नया रायपुर, दिनांक 26/08/2017
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजभवन छ०ग०, रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. मुख्य सूचना आयुक्त, डी.के.एस. भवन परिसर, इन्द्रावती खण्ड, रायपुर।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव(स्वतंत्र प्रभार), छ०ग०शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
7. रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर।
8. समस्त विशेष सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़।
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
11. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर।
12. समस्त संभागयुक्त, छत्तीसगढ़।
13. समस्त कलेक्टर, छ.ग.।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, डी.के.एस. भवन परिसर, इन्द्रावती खण्ड, रायपुर।

15. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर।
16. संबंधित-श्री अशोक कुमार अग्रवाल(भा.प्र.सेवा-2000) रायपुर (छ.ग.)।
17. उप सचिव, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
18. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017 — भाद्रपद 4, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2013/1-13/आरटीआई/1-सूअप्र. — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल (भा. प्र. सेवा-2000), रायपुर (छ. ग.) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.